

गया था। बाद में 1970-71 में योजना का कार्य क्षेत्र 1961 की जनगणना पर आधारित 15,000 जनसंख्या वाले नगरों को छोड़ कर समूचे गया जिले तक बढ़ा दिया गया था। तत्पश्चात् गया जिला 3 जिलों अर्थात् गया, नवादा तथा औरंगाबाद में विभाजित कर दिया गया था। वर्तमान में ग्रामीण उद्योग परियोजना में गया स्थित परियोजना के मुख्यालय सहित (1961 की जनगणनानुसार 25,000 से अधिक जनसंख्या वाले नगरों को छोड़कर उपर्युक्त जिले आ जाते हैं।

भारी सरकार योजना के अधीन कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु स्थापित किये गये परियोजना संगठन के कर्मचारियों पर होने वाले व्यय के लिये केन्द्रीय बन्दुदान तथा राज्य सरकार को लघु उद्योग स्थापित करने हेतु ऋण देती है।

एक राज सहायता प्राप्त व्याज दर पर अर्थात् ५½ प्रतिशत की दर से भारतीय० आई० पी० फण्ड से ऋण ले सकते हैं।

उपर्युक्त के अलाए एक पिछड़े क्षेत्रों को प्राप्त होने वाले विभिन्न लाभों को जिनमें रियायती दर पर वित्त, निःशुल्क परामर्श सेवा, आयकर में रिबेट, रियायती व्याज दर पर एन० एस० आई० सी० द्वारा किराया खरीद आधार पर मरीने आदि मम्मिलित हैं, के पाने के पात्र हैं।

विलासिता की वस्तुओं के उत्पादन पर प्रतिबन्ध

3425. श्री मोठालाल पटेल : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पांचवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि में विलासिता की वस्तुओं के उत्पादन पर प्रतिबन्ध लगाने का निश्चय किया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धित क्या है

उद्योग मन्त्री (श्री जार्ज फर्नार्डिस) : (क) श्रीर (ख). यद्यपि विलासिता की वस्तुओं की कोई स्वीकृत परिभाषा नहीं है फिर भी मराठा नीति उपभोग की गंग-जहरी वस्तुओं, जिनमें समाज के समृद्ध वर्ग द्वारा प्रमुखतः उपभोग की जाने वाली वस्तुएं भी सम्मिलित हैं, के उत्पादन को सीमित रखने की रही है। उत्पादन क्षमता प्राधिकृत करते समय/लाइसेंस देते समय इस तथ्य को ध्यान में रखा जाता है। कर नीतियां भी इस उद्देश्य की प्राप्ति को ध्यान में रख कर नियंत्रित की गई हैं। फिलहाल किसी भी विशेष वर्ग की वस्तु के लिए पहले से प्राधिकृत/लाइसेंस शुद्धा क्षमता के उत्पादन पर प्रतिबन्ध लगाने अथवा उसे कम करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

Inter-State Road Transport

3426. SHRI K. PRADHANI: Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state:

(a) the contribution made by the Inter-State Transport Commission in improving Inter-State Road Transport; and

(b) whether there is any proposal under Government's consideration to reorganise the Inter-State Transport Commission to make it more effective?

THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI): (a) The Inter-State Transport Commission has assisted in facilitating the free movement of transport vehicles on inter-state routes covering two or more States by persuading State Governments to conclude agreements with